



2026:AHC:126705

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 20035 वर्ष 2026

सलीम @ अवलू..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : मोहम्मद हसनैन, सुनील कुमार कुशवाहा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 5

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव कुमार

1. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक की ओर से केस अपराध संख्या-12 वर्ष 2025 में बी.एन.एस. की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5), 61(2) और आईटी एक्ट की धारा 66 (सी), 66 (डी), थाना साइबर अपराध, जिला-बदायूं के तहत दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है और दौरान ए विवेचना उनका नाम प्रकाश में आया है। वह सह-आरोपी हेमपाल का ड्राइवर है और कथित कॉल सेंटर में की गई किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कॉल सेंटर का संचालन करने वाले पाँच सहअभियुक्तों को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा क्रमशः -

दिनांक 26.03.2026, 01.04.2026, 01.04.2026, 08.04.2026 तथा 20.04.2026 को पारित आदेशों के माध्यम से, जो कि आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन सं .7341/2026,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



6971/2026, 7265/2026, 7336/2026 तथा 13035/2026 में पारित किए गए, जमानत प्रदान की जा चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में, वर्तमान आवेदक भी समानताके आधार पर जमानत प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है।

6. आवेदक के अधिवक्ता के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, अपर शासकीय अधिवक्ता और प्राथमिकी की सामग्री के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को देखते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, सजा की गंभीरता, पक्षों के अधिवक्ता की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन को **समानता के आधार पर** अनुमति दी जाती है।

7. आवेदक-सलीम @ अबलु, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए 50, 000/- रुपये का व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक उस अपराध के समान किसी भी अपराध को नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिसके उस पर आरोप लगाया गया है, या जिस पर उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की



स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(iv) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भ०द०वि० की धारा 229-ए (संबंधित धारा 269 बी.एन.एस.) के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और धारा 82 द०प्र०स०के तहत अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार उसके खिलाफ भ०द०वि० की धारा 174-ए (संबंधित धारा 209 बी.एन.एस.) के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) द०प्र०स० की धारा 313 (संगत धारा 351 बी.एन.एस.एस.) के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

8. किसी भी शर्त के उल्लंघन में, संबंधित अदालत आवेदक को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

10 जून 2026

शुभम